राजस्थान सरकार
प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र
Centre for Management Studies
हरिश्चन्द माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
H.C.M. Rajasthan State Institute of Public Administration
Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302 017 Rajasthan India

क्रमांकः 4774 ....

दिनांकः 17-03-2025

पाठ्यक्रम निदेशक,
ह0च0मा0 रीपा, जयपुर एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, ह.च.मा. रीपा,
जोधपुर, बीकानेर, कोटा एवं उदयपुर।

विषयः- प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में दिशा निर्देश।

प्रायः यह देखा गया है, कि ह.च.मा. रीपा, जयपुर एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र के अन्तर्गत आयोजित अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उपरांत पाठ्यक्रम निदेशक द्वारा प्रशिक्षणार्थियों/ प्रतिभागियों हेतु जारी कार्यमुक्ति आदेश या उपस्थिति तालिका की प्रति प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र को उपलब्ध करायी गई है, लेकिन कितने प्रतिभागियों द्वारा आवासीय सुविधाओं का उपयोग किया गया है, के संबंध में स्पष्ट विवरण प्रेषित नहीं किया गया है।

अतः प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते है:-

1. पाठ्यक्रम निदेशक प्रशिक्षणार्थियों हेतु जारी किये जाने वाले कार्यमुक्ति आदेश में प्रशिक्षण का नाम, आयोजन की दिनांक/अवधि, आयोजनकर्ता एवं सहआयोजक/सहयोगकर्ता/प्रायोजक का विवरण सहित निम्नलिखित प्रारूप में प्रशिक्षणार्थियों का विवरण प्रशिक्षण समाप्ति के 7 दिवस के भीतर प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगाः -

क्र0 सं0	प्रशिक्षणार्थी का नाम	पदनाम	विभाग	अनुपस्थित रहने की तिथि (यदि लागू हो)	आवासीय सुविधाओं का उपयोग किया गया है ? (हॉ/नहीं)

2. प्रशिक्षण के संबंध में की गई व्यवस्थाओं यथा प्रशिक्षणार्थियों हेतु चाय, अल्पाहार, पानी, भोजन एवं फोटोग्राफी, बैनर/स्टैण्डी/होर्डिंग, सर्टिफिकेट इत्यादि के बिल पाठ्यक्रम निदेशक के प्रमाणीकरण मय सील केन्द्र को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायेगें।
3. प्रशिक्षण आयोजन हेतु सामान्य व्यवस्था यथा प्रशिक्षण हॉल, आवासीय सुविधाएं तथा प्रशिक्षण किट (पैन, डायरी, फोल्डर/बैग इत्यादि) निर्धारित मापदण्डानुसार देय होगी।
4. प्रशिक्षण हेतु विशेष व्यवस्था यथा स्मृति चिन्ह, स्टडी विजिट, वाहन (बस/टैक्सी), विशेष रात्री भोजन, पैन ड्राइव, पानी की बोतल, रूम किट (साबुन, तेल, ब्रश, पेस्ट इत्यादि) की व्यवस्था पाठ्यक्रम निदेशक द्वारा महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक महोदय से पूर्वानुमति प्राप्त के उपरांत की जायेगी तथा बिल पाठ्यक्रम निदेशक के प्रमाणीकरण मय सील केन्द्र को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायेगें। अनुमति के अभाव में भुगतान/ पुनर्भरण नहीं किया जा सकेगा।
5. पाठ्यक्रम निदेशक द्वारा 03 एवं 05 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन हेतु आवश्यकतानुसार प्रशिक्षणार्थियों हेतु पैन ड्राईव, कपडे का बैग, फोटो स्टेट, इत्यादि की मांग की जा सकेगी, जबकि 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन हेतु केवल पैन, डायरी एवं क्लोथ/जूट फोल्डर की मांग की जायेगी।

6. वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 332200638 दिनांक 16.09.2022 के द्वारा प्रशिक्षण दरों एवं विभागीय आदेश कमांक: 2346-56 दिनांक 23.09.2022 के माध्यम से प्रशिक्षण एवं आवासीय प्रशिक्षण दर का अनुमोदन का किया गया है।(आदेश की प्रति संलग्न)
7. उक्त आदेश के अनुसार आयोजक संस्था द्वारा विशेष व्यवस्था की अपेक्षा किये जाने की स्थिति में आपसी अनुबन्ध अनुसार प्रशिक्षण दरों में आवश्यकतानुसार संशोधन करवाया जा सकेगा।
8. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान विभागीय आदेश क्रमांक 199 दिनांक 05.04.2021 के माध्यम से मैस सहित/रहित निर्धारित दरों (मध्यान्ह भोजन की दर 100/- रूपये, अल्पाहार की दर 60/- एवं 2 समय की चाय हेतु दर 25/-) के अनुसार व्यवस्था की जा सकेगी।(आदेश की प्रति संलग्न)
9. प्रशिक्षण में सत्र लेने हेतु शहर के बाहर अन्य स्थानों से अतिथि वक्ताओं को आमंत्रित करने एवं उन्हें यात्रा व्यय (बस/रेल अथवा हवाई यात्रा मय क्लास या इसके समकक्ष) के भुगतान/पुनर्भरण के संबंध में महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक महोदय से पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। अनुमति के अभाव में यात्रा व्यय (बिल/टिकिट प्रस्तुत करने पर) का भुगतान/पुनर्भरण नहीं किया जा सकेगा।
10. प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आमंत्रित संकाय सदस्यों/विषय वक्ताओं को आदेश क्रमांक 3582 दिनांक 17.05.2022 के माध्यम से रीपा अतिथि का दर्जा दिया गया है। उक्त आदेश की अनुपालना में आमंत्रित संकाय सदस्यों/विषय वक्ताओं को हॉस्टल/कॉटेज/गेस्ट हाउस/कृष्णपुरी भवन में निःशुल्क ठहराने की व्यवस्था की जायेगी।(आदेश की प्रति संलग्न)
11. डेलीगेशन ऑफ पॉवर में अंकित विशेष मानदेय राशि के भुगतान हेतु पाठ्यक्रम निदेशक द्वारा महानिदेशक महोदय की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी तथा प्राप्त अनुमति (नोटशीट की प्रति) भुगतान वाउचर के साथ प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

अतः पाठ्यक्रम निदेशक प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र के अंतर्गत आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उक्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

सतीश कुमार
पंजीयक

कमांकः **दिनांकः**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण एवं योजना), ह0च0मा0 रीपा, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, ह.च.मा. रीपा, जोधपुर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर।
3. अतिरिक्त पंजीयक, प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र, ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त पंजीयक, प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, ह.च.मा. रीपा, जोधपुर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर।
5. समस्त पाठ्यक्रम निदेशक, ह0च0मा0 रीपा, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

पंजीयक

राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर

क्रमांक–प./रीपा/विश्रान्ति/स्टोर/2009–10/ 199

दिनांक– 05/4/2021

वित्तीय एवम् प्रशासनिक स्वीकृति

ह0चमा रीपा संस्थान द्वारा पूर्व मे जारी आदेश क्रमांक 5776–89 दिनांक 16.06.2016 के अतिक्रमण में राज्यपाल महोदय की ओर से ह.च.मा. रीपा जयपुर/उदयपुर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर प्रशिक्षण केन्द्रो में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु राज्य सेवा में रहते हुये आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को संस्थान की ओर से मध्यान् भोजन/अल्पाहार/चाय आदि की व्यवस्था करने हेतु दिनांक 01.04.2021 से निम्नांकित दरों से व्यय करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

क्र0स0	विवरण	दर रू प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन मैस सहित कार्यालयों हेतु	दर रू मैस रहित कार्यालयों हेतु प्रतिभागी प्रतिदिन
1.	मध्यान् भोजन	100/–	100/–
2.	अल्पाहार (यदि मध्यान् भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है)	60/–	60/–
3.	चाय (दो समय)	25/–	25/–

उक्त मद पर व्यय निम्नांकित बजट मद से वहन किया जायेगा:–

2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।
003–प्रशिक्षण
(01)–ह.च.मा. रीपा
(02)–फर्म प्रशिक्षण
29–प्रशिक्षण भ्रमण, सम्मेलन व्यय

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति क्रमांक 102101086 दिनांक 26.03.2021 के अनुसरण में जारी की जाती है। उक्त दरें दिनांक 01.04.2021 से प्रभावी होंगी।

भवदीय,
1/4/21
(डॉ.भाग चन्द बधाल)
संयुक्त शासन सचिव (प्रशिक्षण)

क्रमांक–प./रीपा/विश्रान्ति/स्टोर/2009–10/200-204

दिनांक– 05/4/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 अतिरिक्त निजी सचिव, महानिदेशक ह0च0मा रीपा जयपुर
2 निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक ह0च0मा रीपा जयपुर
3 अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) हचमा रीपा जयपुर
4 अतिरिक्त निजी सचिव ,अतिरिक्त निदेशक (लेखा) ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
5 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), ह.च.मा. रीपा, उदयपुर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर
6 संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7 उपनिदेशक प्रशासन ह0च0मा रीपा जयपुर
8 प्रभारी अधिकारी विश्रान्ति/परिसर ह0च0मा रीपा जयपुर
9 प्रबन्धक, ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
10 लेखाशाखा, ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
11 गार्ड फाईल

प्रभारी अधिकारी (विश्रान्ति)

H.C.M. Rajasthan State Institute of Public Administration
Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302 017 (Rajasthan) India

क्रमांक दिनांक

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 32 के अन्तर्गत वित्त विभाग के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.09.2013 के क्रम में जारी अधिसूचना दिनांक 27.12.2016 में आइटम 1 के अन्तर्गत सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं इत्यादि का आयोजन प्रबंध अध्ययन केन्द्र के माध्यम से कराये जाने हेतु अधिकृत किया गया हैं।

वित्त (व्यय--5) विभाग की आई0डी0 332200638 दिनांक 16.09.2022 के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने की दरों को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की सहमति प्राप्त हुई है:-

- For Member Institutions Rs. 1,000/- per trainee per day
- For other Institutions Rs. 1,200/- per trainee per day
- The additional fee for Residential Course :-

Vishranti Non-AC Room (Rs. Per Trainee Per day)	Vishranti AC Room (Rs. Per Trainee Per day)	New Executive Hostel (Rs. Per Trainee Per day)
700/-	800/-	1,000/-

For making special arrangements for course,on the request of sponsoring agency, Director CMS is authorized to decide training charges as per mutual agreement between CMS and sponsoring agency.

उपरोक्त दरे दिनांक 01.10.2022 से प्रभावी होगी।

sd/-
महानिदेशक
ह0च0मा0 रीपा, जयपुर

क्रमांक 2346-56
दिनांक 23-9-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, महानिदेशक, ह0च0मा0 रीपा, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, ह0च0मा0 रीपा, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी (आयोजन एवं प्रशिक्षण विभाग), ह0च0मा0 रीपा, जयपुर।
4. समस्त प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/संकाय सदस्य, ह0च0मा0 रीपा, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र, ह0च0मा रीपा, रानी रोड उदयपुर।
6. अतिरिक्त पंजीयक, प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र, ह0च0मा रीपा, जोधपुर/कोटा/बीकानेर।
7. रोकड़/लेखा शाखा प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र, ह0च0मा0 रीपा, जयपुर।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

23/09/2022
पंजीयक

Phone: 0141-2706556,2715246 Fax No. 0141-2705420
E-Mail: www.hcmripa.rajasthan.gov.in website: www.hcmripa.rajasthan.gov.in
programme 2021,22,23

13

प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302017
फोन न.6182542 फैक्स 2706420 ई मेल hcmripa@rajasthan.gov.in

क्रमांक– दिनांक–

कार्यालय आदेश

ह0च0मा0 रीपा जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.4(3)प्र.सु/प्रप्र/प्लान/रीपा/83/17663 दिनांक 18.10.2019 के द्वारा अतिथि वक्ताओं को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वार्ता/सम्भाषण हेतु देय मानदेय की दरें निम्नानुसार वित्त विभाग की आई0डी0 संख्या--101904359 दिनांक 03.10.2019 के अनुसार निर्धारित की गई हैं। अतिथि वक्ताओं को ह0च0मा रीपा जयपुर एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों मे आमन्त्रित अतिथि वक्ताओं को प्रति सत्र (75 मिनट की अवधि) के लिए निम्नानुसार मानदेय भुगतान की दरें निर्धारित की गई हैं:--

क्र0सं	विवरण	देय मानदेय की दर
1.	ह0च0मा0 रीपा जयपुर में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आमन्त्रित अतिथि वक्तागणों के लिए	रूपये 1500/– (रूपये एक हजार पाँच सौ मात्र)
2.	ह0च0मा0 रीपा के उदयपुर/कोटा/जोधपुर/बीकानेर स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आमन्त्रित अतिथि वक्तागणों के लिए	रूपये 1000/– (रूपये एक हजार मात्र)

उपरोक्त दरे प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र जयपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशाला में दिनांक 18.10.2019 से प्रभावी किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

sd/-
पंजीयक

दिनांक– 31/10/19

क्रमांक– 6185-95

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र, ह0च0मा0 रीपा, जयपुर।
2. अतिरिक्त पंजीयक, प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र, ह0च0मा0 रीपा, जयपुर।
3. समस्त संकाय सदस्य, ह0च0मा0 रीपा, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, ह0च0मा0 रीपा, उदयपुर/कोटा/जोधपुर/बीकानेर।
5. प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण एवं योजना), ह0च0मा0 रीपा, जयपुर।
6. लेखा/रोकड़ शाखा, प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र, ह0च0मा0 रीपा, जयपुर।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

पंजीयक